तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स जज	आवश्यक... की तारीख
29-7-22	आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये कथन किया कि - बन्दोबस्ती सम्वत 2071-2074 की खेवट खतौनी संख्या नई 201 पुरानी 186 की भूमि ख० नं० 1102 रकबा 1-5303 हैक्टर वाके ग्राम फेजरा के खातेदार प्रार्थीगण है जो प्रार्थीगण को पैतृक भूमि के बटवारे मे प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमियो मे पानी पिलाने के लिए प्रार्थीगण की एक नाईड की मेड काट कर इस शर्त के साथ पानी पिलाया जाता था कि प्रार्थीगण की भूमि या फसल को नुकसान नहीं होगा, परन्तु अप्रार्थीगण जबरदस्ती रूप से अपनी भूमियो को पानी पिलाने के लिए अत्यधिक मात्रा मे पानी लेने से फसल को नुकसान होता है। इस संबंध में थाना गोगुन्दा में राजीनामा लिखा गया, यदि नुकसान हुआ तो प्रार्थीगण बोरे को रुकवा सकते है। उस वर्ष भी प्रार्थीगण का खेत पड़त रह गया और अप्रार्थीगण द्वारा नुकसान की भरपाई नहीं की गई। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13-6-2020 को	

	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस की तामील में ज

अदालत के समक्ष पुनः राजीनामा लिखा गया कि प्रार्थीगण की भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि प्रार्थीगण को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई समिति करेगी। यदि पानी लेंगे तो प्लास्टिक की पाईप लगाकर पानी लेंगे तथा नुकसान होता है तो समझौता निरस्त होगा तथा प्रार्थीगण की भूमि पर बने धोरे से पानी नहीं लेंगे। दिनांक 20-7-2021 को अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर आये और कहा कि अब तो भूमि पर बने धोरे से जबरदस्ती रूप से पानी पिलायेंगे तथा रबी फसल में भी टैक्टर निकालेंगे। धोरा रिकार्ड में नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करे कि प्रार्थीगण के खेत की भूमि से धोरा निकाल कर पानी नहीं लेवे तथा कब्जा नहीं करे। और नहीं फसल को नष्ट करे और नहीं अन्य से करावे।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया गया कि प्रकरण में तहसीलदार को पार्टी नहीं बनाया। नहर 60-70 वर्ष पूर्व बनी थी तब वादी, प्रतिवादीगण की भूमियां सिंचाई थी। उस समय से धोरे से सिंचाई करते आ रहे हैं। धोरा C.A.D का है। C.A.D विभाग सिंचाई के पैसे लेता है। अप्रार्थीगण पूर्ण शान्ति से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। प्रार्थीगण की भूमि से

कोई नुकसान नही होता है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो भारी नुकसान होगा। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया, जिससे प्रकट है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि ख. नं. 1102 रकबा – 1-5303 हैक्टेयर वाके ग्राम ऐबरा परगना हल्का ऐबरा तहसील बून्दी के खातेदार है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर धोरा निकालने, फसल को नष्ट करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थीगण को विधिक अधिकार प्राप्त नही है। उक्त प्रकरण मे मुख्य विवाद धोरे से पानी लेने का है। अप्रार्थीगण द्वारा धोरा C.A.D विभाग का होना तथा 60-70 वर्ष से धोरा बना हुआ होना प्रकट किया है। सिंचाई के पैसे C.A.D विभाग द्वारा लिया जाना तथा सावधानी पूर्वक अपने खेतो की धोरे से सिंचाई किया जाना व भूमि पर कब्जा नही किया जाना प्रकट किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है। अप्रार्थीगण

द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर फसल को नष्ट कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को तस्फिया बाद आरजी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि खसरा नं० 1102 रकबा 1-5303 है० वाके ग्राम पेचवा तह० दूदू के किसी भी भाग पर कब्जा नही करे। तथा अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर बने धोरे से पानी इस प्रकार लिया जावे कि प्रार्थीगण की भूमि को या फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नही हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 29-7-22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

[signature]